न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी	:	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.,
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	:	283/2017
सी.आई.एस. संख्या	:	283/2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	123/2016 (पुलिस थाना थांवला)
CNR No.	:	RJMR15-000516-2017

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, डेगाना

— अभियोजन

बनाम

पप्पू सिंह पुत्र नरसी सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी बनवाड़ा, पुलिस थाना थांवला, जिला नागौर, राज.।

— अभियुक्त

अन्तर्गत धारा 447 व 435 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :—

1. श्रीमती कमलेश चौधरी, विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री लक्ष्मण सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

:: निर्णय :: **दिनांक : 28.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.09.2016 को प्रार्थी श्री विक्रम सिंह ने हाजिर थाना होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी ग्राम बडागांव, जिला झुंझुनू का रहने वाला है एवं ग्राम बनवाडा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर में पप्पू सिंह पुत्र नरसी सिंह से एक खेत नगद रूपये देकर खरीद लिया। पप्पू सिंह ने रूपये लेकर रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम कर दी। रजिस्ट्री नाम होने पर प्रार्थी ने एक कृषक भूरा खां पुत्र भोलू खां सिंह, निवासी बनवाडा को खेती करने के लिये दे दिया। खेती करने वाला भूरा खां पैसे से गरीब है

एवं खेती पर ही आश्रित है व खेती कर अपने चार बच्चे व अपनी पत्नी का पेट पालता है। दिनांक 25.09.16 को दिन भर काटे हुये मूंग को एक जगह पर ईक्ट्ठा किये, ताकि ट्रेक्टर बुआकर उस फसल से मूंग निकलवा लिये जाये। शाम तक ट्रेक्टर का इंतजार कर भूरा खां ने ईक्ट्ठा की हुई फसल को ढकने के लिये तीन तिरपाल लेकर आया। ट्रेक्टर वाले ने सुबह का समय दिया, तो भूरा खां तीनों तिरपालों से अपनी फसल ढककर अपने घर आ गया। सुबह करीब 5.15 बजे भूरा खां के भतीजे इकबाल ने भूरा खां को फोन करके खेत में आग लगने की बात बताई, यह सुनकर भूरा खां खेत की तरफ भागा और दूर से ही आग लगी देखकर गिर पड़ा। भूरा खां ने ही फोन कर प्रार्थी को सूचना दी कि फसल जल गई है। प्रार्थी सुबह 8.30 बजे खेत पहुंचा, तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी एवं धुआं निकल रहा था। प्रार्थी खेत से भूरा खां के घर पहुंचा, तब भूरा खां की पत्नी का रो—रोकर बुरा हाल हो रखा था एवं भूरा खां की भी बीपी लो हो गई थी। प्रार्थी अपने कृषक भूरा खां को लेकर आपके पास आया है एवं न्याय की गुहार लगाई है। आग से भूरा खां के तीन तिरपाल, पांच—छः खेती के औजार जल कर राख हो गये।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना थांवला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 123 / 2016 अपराध अंतर्गत धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया और अनुसंधान के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 447, 435 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित मानते हुये आरोप—पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. प्रकरण में बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 447, 435 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप निम्नलिखित गवाह परीक्षित करवाए गए हैं :—

अभियोजन गवाह सं.	गवाह का नाम	विवरण
पीडब्ल्यू 1	भंवर सिंह	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह
पीडब्ल्यू 2	राजेन्द्र सिंह	चक्षुदर्शी गवाह, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
पीडब्ल्यू 3	भूरा खां	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 4	इकबाल मोहम्मद	पक्षद्रोही गवाह
पीडब्ल्यू 5	विक्रम सिंह	शिकायतकर्ता, तहरीरी रिपोर्ट, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, असल रजिस्ट्री बेचान
पीडब्ल्यू 6	पुखराज	अनुसंधान अधिकारी, चाक एफआईआर, तहरीरी रिपोर्ट, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
पीडब्ल्यू 7	महावीर सिंह	चार्जशीट किताकर्ता, चाक एफआईआर, तहरीरी रिपोर्ट, विक्रय पत्र
पीडब्ल्यू 8	मगन सिंह	कृषि भूमि के विक्रय पत्र का गवाह

5. अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए :—

प्रदर्श संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया
प्रदर्श पी 1	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल	पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 2	गवाह इकबाल मोहम्मद के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 2
प्रदर्श पी 3	तहरीरी रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 6, पीडब्ल्यू 7
प्रदर्श पी 4	असल विक्रय पत्र दिनांकित 23.04.2014	पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 8
प्रदर्श पी 4ए	विक्रय पत्र दिनांकित 23.04.2014 की फोटो प्रति	पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 7, पीडब्ल्यू 8
प्रदर्श पी 5	चाक एफआईआर	पीडब्ल्यू 6, पीडब्ल्यू 7

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध दिए गए बयानों को गलत होने तथा फंसाये जाने के लिए दिया जाना बताते हुए कथन किया कि *निर्दोष हूं, झूंठा फंसाया है।* अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया।

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि मुलजिम द्वारा अपराध कारित किया जाना पूर्ण रूप से साबित हुआ है। मुलजिम पप्पू सिंह ने खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करते हुए आग लगाकर नुकसान कारित किया है। अभियोजन की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः मुलजिम को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर विधि अनुसार दंडित किया जाए।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। जिस खेत में फसल जलाना बताया गया है, उसका स्वामी मगन सिंह व कृषक भूरा खां को बताया गया है। भूरा खां ने मुख्य परीक्षा में फसल जलने की सूचना इकबाल मोहम्मद से प्राप्त होना बताया है, जबकि इकबाल मोहम्मद प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है। प्रकरण में एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह राजेन्द्र सिंह है, जिसकी मुलजिम पप्पू सिंह के साथ अदावती है और जिस कारणवश उसने न्यायालय के समक्ष झूठे बयान दिए हैं। इसके अलावा किसी भी गवाह ने घटना की ताईद नहीं की है। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि भूरा खां ने विवादित खेत में कोई फसल बोई हो। केवल शक के आधार पर मुलजिम पप्पू सिंह को झूठा फंसाया गया है, जबकि मुलजिम का तथाकथित अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हुई है। मुलजिम पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मुलजिम को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

9. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराणार्थ बिन्दु निम्न प्रकार से हैं :—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.09.2016 से 26.09.2016 की मध्य अवधि में पूर्व के किसी समय में सरहद मौजा बनवाडा में विक्रम सिंह के खेत में अपराध कारित करने के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित करते हुए परिवादी के खेत में इक्ट्ठा की हुई मूंग की फसल को आग लगाकर परिवादी को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर रिष्टि कारित की ?
2. यदि हां तो प्रकरण में उचित सजा क्या होगी ?

10. अब न्यायालय को देखना है कि क्या पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष विचारणीय बिंदु को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

11. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में परिवादी विक्रम सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई है कि उसने गांव बनवाड़ा, तहसील रियांबड़ी का एक खेत पप्पू सिंह से नगद रुपये देकर खरीदा था और उस खेत को काश्त के लिए भूरा खां को दिया था। भूरा खां ने उस पर मूंग की फसल बोयी और दिनांक 25.09.2016 को खेत में फसल काटकर इक्ट्ठा की और फसल को तिरपाल से ढककर अपने घर आ गया। सुबह सवा 5 बजे इकबाल ने भूरा खां को फोन करके खेत में आग लगने की सूचना दी। इस संबंध में गवाह इकबाल मोहम्मद पीडब्ल्यू 4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, *''मैं गांव निम्बोला बिस्वा में दुकान करता हूं। आज से करीबन 02 साल पहले की बात है। मैं दुकान जाने के लिये सबुह 05 बजे उठा, तो मैंने देखा कि आग लग रही थी। देखा कि मेरे खेत के पीछे की तरफ मेरे काका भूरा खां के विक्रम के खेत में मूंग की फसल बोई हुयी थी, उसमें*

आग लगी हुयी थी। फिर मैंने मेरे काका भूरा खां को फोन किया और इस बात की सूचना दी थी।''

12. हालांकि यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने मुलजिम पप्पू सिंह को आग लगाते देखने से इन्कार किया है, परंतु खेत में आग लगाने की बात की इसने ताईद की है और फोन पर भूरा खां को इसने सूचना देने की भी ताईद की है। पत्रावली में नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 के रूप में मौजूद है, जिसमें घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया हुआ है, जिसमें एक्स स्थान पर मगन सिंह के खेत में मूंग की फसल का ढेर आग से जलकर राख होना दर्शित है। उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 की ताईद गवाह पीडब्ल्यू 1 भंवर सिंह, पीडब्ल्यू 2 राजेन्द्र सिंह तथा पीडब्ल्यू 6 पुखराज ने की है। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे कृषक पीडब्ल्यू 3 भूरा खां ने भी विवादित खेत में मूंग की फसल बोने, फसल की कटाई करके ढेर लगाने और इकबाल द्वारा आग लगने की सूचना देने पर खेत में पहुंचने पर जली हुई फसल देखने की ताईद की है। पीडब्ल्यू 3 भूरा खां ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, *''सुबह करीब 4—5 बजे उसके पास इकबाल का फोन आया, जिसने उसे बताया कि आपके मूंग के खेत में किसी ने आग लगा दी है। पप्पू सिंह ने आग लगा दी है। खेत में गया, तब तक मूंग का ढेर पूरा जला हुआ था। इस घटना से एक दिन पहले पप्पू सिंह ने उसे कहा था कि तू फसल सही सलामत घर नहीं ले जा पाएगा। मैं तेरी फसल जला दूंगा।''* हालांकि जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि मैंने किसी को फसल में आग लगाते हुए नहीं देखा परंतु यह स्वाभाविक है, क्योंकि फसल में आग लगाते समय उक्त भूरा खां मौके पर मौजूद नहीं था।

13. प्रकरण में विवादित खेत पीडब्ल्यू 8 मगन सिंह ने मुलजिम पप्पू सिंह से खरीदने का कथन किया है, जिसके संबंध में प्रदर्श पी 4 असल रजिस्ट्री पेश की गई, जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श पी 4ए के रूप में पत्रावली पर मौजूद है, जिसके अनुसार मगन सिंह ने पप्पू सिंह से उक्त खेत

सप्रतिफल खरीद किया है। परिवादी विक्रम सिंह मगन सिंह का पुत्र है। उक्त खेत को काश्त के लिए भूरा खां को देने का कथन भी इस गवाह ने किया है। फसल की कटाई होने के संबंध में इस गवाह ने कथन किया है कि, *''तत्पश्चात भूरा खां ने उसे फोन किया ओर बताया कि उसमें मूंग की फसल बोई हुई थी और कहा कि आप आ जाओ ओर आपके सामने ही मूंग निकालेंगे। वहां पर दिनांक 23.09.2016 को उसके पुत्र विक्रम सिंह को फसल निकालने के लिये भेजा व एक दो दिन ट्रेक्टर नहीं मिला, तो दिनांक 25.09.2016 को ट्रेक्टर वाले से बात हुई और कि आपके कल मैं मूंग निकाल दूंगा। उसके बच्चे ने भूरा खां को बताया कि कल ट्रैक्टर आयेगा तथा मूंग कल निकालेंगे। इतना कहकर उसका लड़का अपने ननिहाल गांव चांदारूण शाम के समय वापस आ गया। रात को भूरा खां ने पूरी फसल को तिरपाल से ढक दिया तथा अपने घर पर जाकर के सो गया। सुबह 4–5 बजे के करीबन पप्पु सिंह पुत्र नरसी सिंह वहां पर जाकर के पूरे खले में जाकर आग लगा दी और पूरी फसल जलकर नष्ट हो गयी, जिसमें उसका लगभग 60–70 हजार रूपये का नुकसान हो गया। यह जमीन उसकी रजिस्ट्रीशुदा व कब्जाशुदा जमीन है।''* यह सही है कि उक्त गवाह घटना का चक्षुदर्शी गवाह नहीं है, परंतु विवादित खेत मुलजिम से खरीद करने के संबंध में इस गवाह ने सुदृढ़ साक्ष्य पेश की है। इस गवाह के पुत्र पीडब्ल्यू 5 विक्रम सिंह ने भी मुलजिम पर खेत में खड़ी फसल जलाने के कथन किए हैं, परंतु उक्त गवाह भी घटना का चक्षुदर्शी गवाह नहीं है।

14. प्रकरण में आंशिक अनुसंधान केसरराम तत्कालीन एएसआई ने किया था, जिनके पश्चात् अनुसंधान पीडब्ल्यू 6 पुखराज, एएसआई द्वारा किया गया। उक्त गवाह ने प्रकरण में तफ्तीश करके पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द करने का कथन किया है। यह सही है कि इस गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि, *''प्रदर्श पी 03 में फसल को जलाने वाले व्यक्ति का नाम, पता कुछ भी नहीं लिखा है,''* परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट

दर्ज होने तक परिवादी इस बिंदु को लेकर आश्वस्त नहीं था कि खेत में आग मुलजिम पप्पू सिंह ने ही लगाई है। इसलिए मुलजिम का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखना स्वाभाविक है। अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 6 पुखराज द्वारा की गई तफ्तीश में भी मुलजिम की ओर से किसी प्रकार की कोई त्रुटि दर्शित नहीं की गई है।

15. उक्त घटना का चक्षुदर्शी गवाह पीडब्ल्यू 2 राजेन्द्र सिंह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि, *''दिनांक 25/09/16 को रात्रि करीब 4–4.30 बजे की बात है। वह उसके खेत में पशुओं की रखवाली कर रहा था। वह पशुओं को उसके खेत में बाहर दौड़ा रहा था। तभी पप्पू सिंह उसके पड़ौस वाले मगन सिंह के खेत में मूंग के डिगों में जो तिरपाल से ढके थे, उन्हें आग लगा रहा था। आग लगाकर पप्पू सिंह सनेड़िया की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ गया।''* जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसका खेत मगन सिंह के खेत के पास ही स्थित है। वह घटना के समय मगन सिंह व खुद के खेत की सींव पर सो रहा था, फिर कथन किया है कि वह सो नहीं रहा था, बल्कि पशुओं की रखवाली कर रहा था। जिरह में इस गवाह ने आगे कथन किया है कि, *''जिस साइड में मैं खड़ा था, उसी साईड में ढूंगरा के आग लगाई थी। मुलजिम द्वारा माचिस की तिली जलाते मैंने उसको देख लिया था। पप्पू सिंह का मुंह मूंगों के ढूंगरे की तरफ था। उस वक्त में मुलजिम से 10–12 पावडों की दूरी पर था। मैं मगन सिंह के पूर्व वाले खेत में था। मुलजिम को मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि वह आग लगाकर सनेड़िया जाने वाले रास्ते की तरफ भाग गया था। मूंगों का ढूंगरा करीब 10 क्विंटल था। मूंगों का ढूंगरा मेरे खेत की सींव से 5–7 पावंडा छोड़कर मगन सिंह के खेत में बनाया हुआ था। घटना की रात चांदनी थी। मेरे पास टोर्च भी थी और मूंग का ढूंगरा जलने का उजाला भी था।''*

16. इस प्रकार जिरह में उक्त गवाह ने घटना का स्पष्ट ब्यौरा दिया है तथा किसी प्रकार का कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है। जिरह में

मुलजिम की ओर से उक्त गवाह के समक्ष मुलजिम के साथ अदावती होने का प्रश्न रखा गया है, जिसे गवाह राजेन्द्र सिंह ने इन्कार किया है। मुलजिम की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य जिरह के दौरान या पश्चातवर्ती स्तर पर पेश नहीं की गई है, जिससे ऐसा प्रकट हो कि गवाह राजेन्द्र सिंह व मुलजिम के बीच इस स्तर की अदावती थी कि उसके खिलाफ राजेन्द्र सिंह ने झूठी गवाही दी हो। ऐसी स्थिति में घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह राजेन्द्र सिंह की साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण न्यायालय के पास मौजूद नहीं है। गवाह राजेन्द्र सिंह घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह है और उसने अपनी जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे उसकी साक्ष्य संदेहास्पद प्रकट हो। यह सुस्थापित विधि है कि एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह के आधार पर भी अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित कर सकता है। इस कारणवश न्यायालय का मत है कि मुलजिम पप्पू सिंह को परिवादी के खेत में पड़ी फसल में आग लगाने के संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है।

17. इस प्रकार उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है कि मुलजिम पप्पू सिंह ने मगन सिंह के खेत में आपराधिक अतिचार करके फसल को आग लगाकर धारा 447 व 435 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध कारित किया है। अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 447 व 435 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप को साबित करने में सफल रहने से अभियुक्त को उक्त धाराओं के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: <u>आदेश</u> ::—

18. अतः अभियुक्त पप्पू सिंह पुत्र नरसी सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी बनवाड़ा, पुलिस थाना थांवला, जिला नागौर, राज. को धारा 447 व 435 भारतीय

दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(राजेश्वर विश्नोई)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र

—:: दण्ड के प्रश्न पर ::—

19. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन रहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अभियुक्त की उम्र करीब 60 वर्ष है। अभियुक्त पूर्व में किसी अन्य अपराध में दोषसिद्ध घोषित नहीं हुआ है, ना ही उसे पूर्व में किसी अन्य अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। अभियुक्त वर्ष 2017 से विचारण भुगत रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध साबित अपराध मृत्युदण्ड व आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि परिवादी को कितना नुकसान कारित हुआ है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

20. उक्त तर्कों का प्रबल विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा खेत में आग लगाकर नुकसान कारित किया गया है। अंत में अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का कथन कर निवेदन किया कि यदि अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है, तो इस प्रकार के कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा।

21. सुना गया तथा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। प्रकरण में कृषक भूरा खां द्वारा कड़ी मेहनत करके जो फसल विवादित भूमि पर उगाई गई और उसने काटकर इक्ट्ठा किया गया, उसे आग लगाकर

जलाने और राख करने संबंधी गंभीर आरोप अभियुक्त पर साबित हुए हैं। उक्त आग गंभीर रूप भी ले सकती थी। किसी कृषक की कड़ी मेहनत से तैयार की गई फसल को जला देना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। न्यायालय के मत में यदि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है, तो निश्चित ही अभियुक्त के हौंसले बुलन्द होंगे एवं ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी तथा समाज में भी गलत संदेश जाएगा। न्यायालय के विनम्र मत में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त परिवीक्षा विधि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अभियुक्त को उचित दण्ड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: दण्डादेश ::—

22. अतः अभियुक्त पप्पू सिंह पुत्र नरसी सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी बनवाड़ा, पुलिस थाना थांवला, जिला नागौर, राज. को अपराध अंतर्गत धारा 447 व 435 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध के लिए निम्नानुसार दंडित किया जाता है :—

- अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की दोषसिद्धि के फलस्वरूप 03 (तीन) महीने का साधारण कारावास एवं 500 / — रुपये अक्षरे पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 01 (एक) माह का साधारण कारावास पृथक् से भुगतेगा।
- अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की दोषसिद्धि के फलस्वरूप 03 (तीन) वर्ष का साधारण कारावास एवं 1,00,000 / — रुपये अक्षरे एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 06 (छः) माह का साधारण कारावास पृथक् से भुगतेगा।

23. अभियुक्त की उक्त समस्त सजाएं साथ–साथ भुगताई जावें। अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मूल सजा में से समायोजित कर मुजरा की जावे।

24. प्रकरण में अर्थदण्ड राशि जमा होने पर क्षतिपूर्ति राशि के रूप में मजरूब भूरा खां को अर्थदण्ड में से राशि 75,000 / – रुपये तथा मजरूब मगन सिंह को अर्थदण्ड में से राशि 25,500 / – रुपये बतौर क्षतिपूर्ति बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार अदा की जावें।

25. अभियुक्त का सजायाबी वारंट बनाया जावे। इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को तुरन्त निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

(राजेश्वर विश्नोई)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र

26. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश्वर विश्नोई)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र